"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2012—चैत्र 11, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (17).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-1 की "शक्ति चलित कृषि उपकरण" से संबंधित प्रविष्टि क्रमांक 58 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-31/2007/वाक/पांच (21) दिनांक 02-04-2007 में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को जोड़ा जाता है, यथा,—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तु का नाम (2)
(29)	थरहा लगाने की मशीन

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2012 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (17).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (17), दिनांक 31-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st March 2012

NOTIFICATION

No. F-10/15/2012/CT/V (17).—In pursuance of the provisions specified in S. No. 58 of Schedule-I of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), relating to "Power operated agriculture implements", the State Government hereby adds the goods specified in the schedule below in the notification No. F-10-31/2007/CT/V (21) dated 02-04-2007, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of goods (2)
(29)	Transplanter

2. This notification shall come into effect from 01-04-2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (18).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-दो की प्रविष्टि क्रमांक 27 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-56/2006/वाक/पांच (45) दिनांक 28-04-2006 में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को जोड़ा जाता है, यथा,—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तु का नाम (2)
27	फ्लाई ऐश आधारित उद्योग हेतु मशीनरी एवं कम्पोनेन्टस्
28	पोल्ट्री उद्योग हेतु मशीनरी एवं कम्पोनेन्टस्
29	मधुमक्खी पालन उद्योग हेतु मशीनरी एवं कम्पोनेन्टस्

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2012 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (18), दिनांक 31-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st March 2012

NOTIFICATION

No. F-10/15/2012/CT/V (18).—In pursuance of the provisions specified in S. No. 27 of part-2 of Schedule-II of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby adds the goods specified in the schedule below in the notification No. F-10-56/2006/CT/V (45) dated 28-04-2006, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of goods (2)
27	Machinery and components for fly-ash based industries.
28	Machinery and components for poultry industries.
29	Machinery and components for bee-keeping industries.

2. This notification shall come into effect from 01-04-2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (19).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा दिनांक 01-04-2012 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2011/वाक/पांच (23C) दिनांक 31-03-2011 की अनुसूची में अ.क्र. 5 एवं अ.क्र. 7 से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (19), दिनांक 31-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st March 2012

NOTIFICATION

No. F-10/15/2012/CT/V (19).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment with effect from 01-04-2012 :—

AMENDMENT

In schedule to the notification No. F-10/23/2011/CT/V (23C) dated 31-03-2011, the entries related to S. No. 5 & 7 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (20).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक दिनांक 01-04-2012 से 31-03-2013 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ.क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	शर्तें एवं निर्बन्धन (4)
1.	लालटेन	संपूर्ण कर	
2.	थैलीसीमिया के उपचार की दवा-डिफेरासिरोक्स.	संपूर्ण कर	
3.	छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित रु. 10 खुदरा मूल्य तक की नेल पालिश.	संपूर्ण कर	

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	"फ्री-डेज" सेनेटरी नेपकीन	संपूर्ण कर	जब इसका विक्रय भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को वितरण हेतु किया जाय.
5.	फ्लाई ऐश से निर्मित ब्लाक्स, होलो ब्रिक्स, पेवर्स, पेविंग ब्लाक्स.	संपूर्ण कर	
6.	बैटरी चलित इलेक्ट्रिक मोटर वाहन	संपूर्ण कर	
7.	सौर ऊर्जा जनित उपकरण एवं कम्पोनेन्ट.	संपूर्ण कर	
8.	पुराने मोटर वाहन	संपूर्ण कर	जब इस पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत कर लग चुका हो.
9.	प्लाईवुड एवं लेमिनेट्स	अंशतः इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (20).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (20), दिनांक 31-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st March 2012

NOTIFICATION

No. F-10/15/2012/CT/V (20).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said act to the extent specified in column (3) for the period from 01-04-2012 to 31-03-2013 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)	Restrictions and conditions (4)
1.	Lantern	Whole of tax	

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Deferasirox drug for treatment in thalassemia.	Whole of tax	
3.	Nail-polish upto retail price of Rs. 10 manufactured in Chhattisgarh State.	Whole of tax	
4.	"Free-days" sanitary napkin	Whole of tax	When sold for distribution by Govt. of India, Health & Family Welfare Ministry for women of rural area.
5.	Blocks, hollow-bricks, pavers, paving blocks manufactured from fly-ash.	Whole of tax	
6.	Battery operated electric motor vehicle.	Whole of tax	
7.	Solar energy equipment and components.	Whole of tax	
8.	Second hand motor vehicle	Whole of tax	When such vehicle has suffered tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act.
9.	Plywood and laminates	Partly so as to reduce the rate of tax to @ 5%	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (21).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कॉलम (3) में वर्णित सीमा तक कॉलम (4) में दिए गए निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन दिनांक 01-04-2012 से 31-03-2013 तक की कालावधि के लिये कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ.क्र.	माल का विवरण	करमुक्ति की सीमा	निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो), (छः) एवं (सोलह) में वर्णित लोहा तथा इस्पात.	अंशत: इस प्रकार कि जिससे धारा 8 के अधीन कर की दर घटकर 2% हो जाये.	जबकि माल का विक्रय छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयत व्यवसायी को संलग्न घोषणा पत्र के प्रारूप में इस आशय हेतु किया जाये कि :— (एक) क्रय किया गया माल स्वयं की इकाई में स्टील

(1)	(2)	(3)	(4)
			ट्यूब एवं पाईप के निर्माण में उपयोग के लिये है.
			(दो) निर्मित माल का विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जायेगा.

घोषणा-पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

मैं .... (व्यापारी का नाम) .... (पता), छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... का धारक व्यापारी एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने नीचे दिये गये विवरण अनुसार माल का क्रय .... (व्यापारी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... धारक व्यापारी से किया है.

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि :—

(एक) मेरे द्वारा क्रय किया गया माल स्वयं की इकाई में स्टील ट्यूब एवं पाईप के निर्माण में उपयोग के लिये है.

(दो) मेरे द्वारा निर्मित माल का विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जायेगा.

घोषणा-पत्र पर क्रय किए गए माल का विवरण

क्रय आदेश/बिल/इन्वाईस/कैश मेमो/ चालान का विवरण		क्रय किए गए माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (रुपये)
क्रमांक	दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

क्रय मूल्य (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रुपये .... मात्र.

स्थान ....

दिनांक ....

....
व्यवसायी के हस्ताक्षर एवं सील

* जो लागू न हो उसे काट दें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेविन्दर सिंगर, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/15/2012/वाक/पांच (21), दिनांक 31-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st March 2012

NOTIFICATION

No. F-10/15/2012/CT/V (21).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts, the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and condition specified in column (4) from 01-04-2012 to 31-03-2013 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemptions (3)	Restrictions and conditions, subject to which exemption is granted (4)
(1)	Iron and steel as specified in categories (ii), (vi) and (xvi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax under section 8 to 2%.	When the goods are sold to a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 against a declaration in the appended declaration form to the effect that :— (i) the goods being purchased are for use, in own unit, in the manufacture of the steel tube and pipe. (ii) the manufactured goods shall be sold in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India.

DECLARATION

(Under C.T.D. Notification No. .... Dated ....)

I, ... (Name of the dealer) .... (address), a dealer holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, hereby declare that I have purchased the goods, particulars of which have been given below from .... (Name and address of the dealer) a dealer holding registration certificate No. .... under the said adhiniyam.

2. I, further declare that :—

(i) the goods being purchased are for use, in own unit, in the manufacture of the steel tube and pipe.

(ii) the manufactured goods shall be sold in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India.

Particulars of goods purchased

Particulars of purchase bill/invoice/ cash memo/challan		Description of goods purchased	Quantity	Value (Rs.)
No.	Date			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total Value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only.

Place ....

Date ....

....

Signature & Seal of the dealer

* Strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.